सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 08, मंगलवार, *शाके 1946*- जनवरी 28, 2025 *Magha 08, Tuesday, Saka 1946- January 28, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2025

जी.एस.आर.108 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल,राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम,1981 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 23.07.2003 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.- राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम,1981 के नियम 28 के विद्यमान उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात् :-

"(8) अध्यक्ष के रूप में आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य,सदस्य के रूप में कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो तथा सदस्य-सचिव के रूप में विधि एवं विधिक कार्य विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कई अधिकारी जो विधि एवं विधिक कार्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव की रैंक से नीचे का न हो, से गठित समिति, उन समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद-वर्ग पर पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों को अंतर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर और/या योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद-प्रवर्ग, जिससे चयन किया गया है, के वरिष्ठताक्रम में व्यवस्थित की जायेगी।"

[**सं.एफ.1(1)डीओपी/ए**- II/**91**]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 28, 2025

G.S.R.108 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service Rules, 1981, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 23.07.2003.

2. Amendment of rule 28.- The existing sub-rule (8) of rule 28 of the Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service Rules, 1981 shall be substituted by the following, namely:-

"(8) A Committee consisting of the Chairman of the Commission or a Member thereof nominated by him as Chairman, the Principal Secretary/Secretary to the Government in the Department of Personnel or his representative not below the rank of the Deputy Secretary to the Government as member and the Principal Secretary to the Government in the Law and Legal Affairs Department or any officer nominated by him not below the rank of Special Secretary to the Government, Law and Legal Affairs Department as Member-Secretary, shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority of the category of post from which selection is made."

[No.F. 1(1)DOP/A-2/91]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.